


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती गुडडी कर्वे बनाम भवरसिंह (वैयस)

किरम मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 93 तम 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22-7-21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p>	
22/8/21	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-8-21 को पेश हो।</p> <p>1 रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
13/12/21	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अधिपान 2021 हेतु ग्राम पंचायत जिन्दास में पेश हुई अपार्षीगण के सम्मन आउ तामित होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार माण्डल से विवर प्राप्त हुई जिसे शा.प. क्रिया गया। अपार्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ ले लिखा जाकर शा.प. क्रिया गया। पत्रावली फिलहाल अग्रारोप करणम्बर से रुक रही।</p> <p><i>[Signature]</i> डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 93/21 प्रा. पत्र

1- श्रीमती बुड्डी कवर थं 081 कोट्टसिंहशरणन्यासी - कैरिया तहसील (भीलवाड़ा)

बनाम

1- श्री अंवरसिंह 01081 वाणू सिंहशरणन्यासी - कैरिया तहसील (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर आवेदन किया कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 2049, 2051, 2052 कुल किता 05 रकबा 0.6070 हेक्टेयर 3371/2054, 3600/2054 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-7-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2049, 2051, 2052 कुल किता 05 रकबा 0.6070 हेक्टेयर 3600/2054 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आसमास को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराये जाने पर प्रार्थी को सूचित किया जावे। 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021